

Title: Need to provide Rs. Two Lakh compensation to the families of victims of the fire accident in a Petroleum Stock Near Mathura district and enquire the matter with C.B.I.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मथुरा रिफाइनरी में जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी बड़े पैमाने पर चोरी होती है। तीन मई को मथुरा के निकट फरह गांव और वहां से नौ किलोमीटर दूर एक बेरी गांव है। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेफ्था आता है, यह अत्यधिक ज्वलन्शील पदार्थ है और लोग मिट्टी के तेल में नेफ्था को मिलाकर, एक केमीकल और डालकर पेट्रोल बनाकर उसको बेचते हैं। जिसके पास पेट्री डीजल का लाइसेंस था, वह दलित था, लेकिन इस काम को दूसरे ही लोग कर रहे थे। 400 लीटर का उसके पास लाइसेंस था, लेकिन जब यह विस्फोट हुआ, उस समय 3800 लीटर तेल था, जिसमें छः ड्रम नेफ्था के थे। यह नेफ्था फटा, जिसमें अभी तक 50 लोगों की मौत हो गई है और 150 लोग आगरा, मथुरा और दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। रिफाइनरी से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की चोरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ दल के लोग मिट्टी के तेल में नेफ्था मिलाकर बड़े पैमाने पर घपला करने का काम कर रहे हैं। यह काम सरकारी संरक्षण में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इमदाद के लिए जो कमिटमेंट किया था और सूबे के वजीर लोग जो वहां पहुंचे थे, न तो लोगों की चिकित्सा का समुचित इन्तजाम हुआ है, न मुआवजा मिला है। मुआवजे के नाम पर कहीं 25,000 रुपये और कहीं 50,000 रुपये लोगों को दिये गये हैं। एक ही परिवार के 4-4, 5-5, 6-6 लोग मारे गये हैं। एक व्यक्ति को कम से कम दो लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, यह एक गम्भीर स्वाल है और इसमें सी.बी.आई. की जांच होनी चाहिए कि कौन इस घपले में शामिल हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में भाण नहीं देना है।